

भाग-1

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज—XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0—10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
लम्बाई—5.100कि0मी0

1.क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0—10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। इस परियोजना से मोपाटा ग्राम लाभान्वित होगा। जिसकी जनसंख्या 251 है। इस परियोजना का निर्माण नापभूमि, वन पंचायत, आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि में किया जा रहा है।
ख)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग)	परियोजना की लागत।	रु0 390.51 लाख
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
ङ)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	परियोजना का क्षेत्रफल 5 हे0 से कम है अतः लागू नहीं है।
च)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, पर्यटन, व्यापार इत्यादि।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	मार्ग निर्माण हेतु।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क)	परिवारों की संख्या	शून्य।
ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
ग)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नहीं)	नहीं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक:

स्थान:


J.E.


Assistant Engineer
RWD PMGSY
Karanprayag-1


अधिसूत्री अभियन्ता
ग्राम्य विकास विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्गु प्रयाग